651

[2019] 16 एस. सी. आर 651

क.

के. मेघचंद्र सिंह और ओआरएस बनाम

निंगम सिरो और ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 8833-8835) 19 नवंबर, 2019

[आर**.** भानुमति**,** ए**.** एस**.** बोपन्ना और हृषिकेश रॉय**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून:वरिष्ठता-मणिपुर पुलिस सेवा ग्रेड-II अधिकारी संवर्ग-प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच अंतर-वरिष्ठता-एम. पी. एस. ग्रेड-II अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची जिसमें पदोन्नत-उत्तरदाता जो 01.03.2007 पर संवर्ग में प्रवेश करते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष भर्ती-अपीलकर्ताओं के नीचे रखा जाता है, जो क्रमशः 14.08.2007 और 24.11.2007 पर संवर्ग में शामिल होते हैं-पदोन्नतियों द्वारा चुनौती दी जाती है कि उन्हें प्रत्यक्ष भर्तियों से वरिष्ठ माना जाना चाहिए-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा कि पदोन्नतियों को प्रत्यक्ष भर्तियों से वरिष्ठता दी जानी चाहिए-डिवीजन बेंच ने आदेश को बरकरार रखा-अपील पर, कहा:वरिष्ठता का दावा उस तारीख से नहीं किया जा सकता है जब पदधारी का कैडर में जन्म होना बाकी है-नियम 28 (i) पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती दोनों के लिए लागू होता है, जिसमें यह प्रावधान है कि वरिष्ठता का निर्धारण उस क्रम से किया जाएगा जिसमें नियुक्तियां की जाती हैं-यदि नियम 28 (i) के तहत वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति की तारीख के आधार पर किया जाना है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि नियम 28 (iii) के उद्देश्य के लिए, प्रत्यक्ष भर्ती की वरिष्ठता का निर्धारण भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तारीख के आधार पर किया जाना चाहिए-अवधि "भर्ती वर्ष" का मतलब उस वर्ष से नहीं है जिसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है या जिस वर्ष में रिक्ति उत्पन्न होती है-तथ्यों पर, एक नई वरिष्ठता सूची तैयार करने की अनुमति नहीं थी। आर. 28 (iii), 28 (i), 16 (iii)।

ग

डी.

ई.

च

जी.

2019 की सिविल अपील संख्या **8838** का निपटारा करते हुए और **2019** की सिविल अपील संख्या **8833-35** और **2019** की सिविल अपील संख्या **8836-37** को खारिज करते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़ना:**1.1** मणिपुर सिविल सेवा नियम**, 1965** ने कभी यह प्रावधान नहीं किया कि वरिष्ठता की गणना ए की तारीख से की जानी चाहिए।

एच.

651

652 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 16 एस. सी. आर.

रिक्त स्थान।एम**.** पी**.** एस**.** नियम**, 1965** द्वारा कवर किए गए लोगों के लिए वरिष्ठता की गणना केवल नियुक्ति की तारीख से की जाएगी**,** न कि उस स्तर से जब नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया था।**[**पैरा **33] [665-**एफ**-**एच**]**

1.2 प्रत्यक्ष भर्ती के लिए **2005** में जारी प्रासंगिक विज्ञापन ने उम्मीदवारों को आवेदन करने की अनुमति दी**,** भले ही योग्यता परीक्षा में उनके परिणाम की प्रतीक्षा हो।इससे भी अधिक दिलचस्प और महत्वपूर्ण यह है कि योग्यता परीक्षा में उपस्थित होने का प्रस्ताव रखने वालों को भी विज्ञापन का जवाब देने की अनुमति है।यदि सीधी भर्ती के लिए **(**वर्ष **2005** में**)** शुरू की गई प्रक्रिया की प्रकृति ऐसी है**,** तो ऐसी स्थिति की आसानी से कल्पना की जा सकती है**,** जहां प्रक्रिया शुरू करने के चरण से वरिष्ठता प्रदान करने की स्थिति में**,** एक व्यक्ति को जब अंततः नियुक्त किया जाता है**,** तो उसे योग्यता प्राप्त करने से पहले ही पद धारण करने के लिए एक तारीख से वरिष्ठता मिल जाएगी।तत्काल मामले में लागू नियमों में हालांकि यह प्रावधान है कि सेवा में वरिष्ठता उस आदेश से निर्धारित की जाएगी जिसमें सेवा में नियुक्तियां की जाती हैं।इसलिए**,** एन**.** आर**.** परमार के मामले में संदर्भित संबंधित ज्ञापन जो केंद्र सरकार की सेवा में व्यक्तियों की वरिष्ठता के निर्धारण के लिए सामान्य सिद्धांतों से संबंधित हैं**,** मणिपुर राज्य में सेवारत पुलिस अधिकारियों के लिए कोई प्रबल प्रभाव नहीं होना चाहिए।**[**पैरा **34,35] [665-**एच**; 666-**ए**-**बी**-**डी**-**ई**]**

ग

डी.

ई.

1.3 एन**.** आर**.** परमार के मामले में निर्णय दिए जाने के बाद**,** भारत संघ ने **04.03.2014** पर कार्यालय ज्ञापन जारी किया**,** जिसमें भर्ती वर्ष को रिक्ति वर्ष के खिलाफ भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के वर्ष के रूप में परिभाषित किया गया और यह कि कोटा का आवर्तन**,** प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच अंतर**-**वरिष्ठता के निर्धारण के लिए काम करना जारी रखेगा।यह ज्ञापन मणिपुर राज्य में ओ**.** एम**.** दिनांक **21.12.2017** जारी होने तक लागू नहीं किया गया था**,** जिसमें ओ**.** एम**.** दिनांक **04.03.2014** को संभावित रूप से एफ**.** ई**.** सी**.** टी**.** एफ**.** रोम **01.01.2018** के साथ अपनाया गया था।उल्लेखनीय रूप से**,** उक्त ओ**.** एम**.** ने विशेष रूप से प्रावधान किया कि **"**इस ओ**.** एम**.** के जारी होने से पहले की गई नियुक्तियां**/**पदोन्नति इस ओ**.** एम**.** के दायरे में नहीं आएगी। इस ओ**.** एम**.** के जारी होने से पहले राज्य में लागू किए गए मौजूदा नियमों के अनुसार पहले से तय की गई वरिष्ठता को फिर से नहीं खोला जा सकता है।**”** इसमें यह भी विशेष रूप से कहा गया था कि **"**यह ओ**.** एम**.** राजपत्र में प्रकाशन के साथ **01.01.2018** से लागू होगा**"**।इस प्रकार**,** यह केवल स्पष्ट नहीं है कि उपरोक्त ओ**.** एम**.** को केवल ए से संभावित प्रभाव दिया जाना था

च

जी.

एच.

653

के. मेघचंद्र सिंह बनाम निंगम सिरो ए

1.1.2018 लेकिन इसमें एक स्पष्ट स्वीकृति है कि ओ**.** एम**.** जारी करने से पहले यह स्थिति नहीं थी और राज्य में पहले एक अलग नियम का पालन किया गया था।इसलिए**,** यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि कम से कम आई**.** डी**. 1** से पहले**,** प्रत्यक्ष भर्तियां यह दावा नहीं कर सकती हैं कि उनकी वरिष्ठता की गणना भर्ती कार्यवाही शुरू होने की तारीख से की जानी चाहिए**,** न कि वास्तविक नियुक्ति की तारीख से।**[**पैरा **36,37] [666-**ई**-**एच**; 667-**ए**-**बी**]**

1.4 वरिष्ठता के निर्धारण के लिए कानून यह स्पष्ट करता है कि सेवा न्यायशास्त्र के तहत**,** वरिष्ठता का दावा उस तारीख से नहीं किया जा सकता है जब पदधारी का कैडर में जन्म होना बाकी है।जे**.** सी**.** पटनायक के मामले में इस मुद्दे पर कानून को सही ढंग से घोषित किया गया है और परिणामस्वरूप एन**.** आर**.** परमार के मामले में सुझाए गए अंतर**-**वरिष्ठता के मूल्यांकन के मानदंडों को अस्वीकार कर दिया गया है।इस प्रकार**,** एन**.** आर**.** परमार में निर्णय को खारिज कर दिया जाता है।हालांकि**,** यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्णय पहले से ही एन**.** आर**.** परमार पर आधारित अंतर**-**वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करेगा और यह

संरक्षित है।यह निर्णय संभावित रूप से लागू होगा, सिवाय इसके कि रिक्तता की तारीख/विज्ञापन की तारीख से संबंधित नियमों के तहत वरिष्ठता तय की जानी है।[पैरा **40] [668-**सी-ई]

ग

डी.

भारत संघ और अन्य बनाम एन. आर. परमार, **(2012) 13**

एस. सी. सी. **340-**निरस्त।

ई.

जगदीश चंद्र पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य, **(1998) 4**

एससीसी 456:[1997] 4 पूरक।एस. सी. आर. 470; सूरज प्रकाश

गुप्ता और ओआरएस. वी.जे एंड के और ओआरएस राज्य। **(2000) 7** एससीसी **561;** प्रताप सिंह और ओआरएस. वी.रीवन सिंह और अन्य,

(2011) 3 एस. सी. सी. **267-**पर निर्भर।

1.5 एकल न्यायाधीश ने अपना निर्णय दो प्रस्तावों पर आधारित किया, लेकिन खंड पीठ का विचार था कि परिणाम केवल दो प्रस्तावों में से एक के आधार पर समान होगा और इसलिए, दूसरे प्रस्ताव पर निर्णय देना अनावश्यक था।इसलिए इस तरह के दृष्टिकोण को दोनों निर्णयों के बीच संघर्ष (जैसा कि सुझाव दिया गया है) के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।दोनों पीठें अपने निष्कर्ष में पूरी तरह से सुसंगत थीं कि पदोन्नति पाने वालों को प्रत्यक्ष भर्तियों की तुलना में वरिष्ठता देनी होगी।इसलिए यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि कुछ जटिल तर्कों से, इस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव है कि दोनों न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के परिणामस्वरूप बिल्कुल विपरीत स्थिति होगी, अर्थात् प्रत्यक्ष भर्तियों को पदोन्नति पर वरिष्ठता देनी होगी।[पैरा **41] [668-**ई-एच]

च

जी.

एच.

1.6 एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार को न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया था, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रत्यक्ष भर्तियों को पदोन्नति प्राप्त करने वालों से अधिक वरिष्ठता नहीं मिल सकती है और अपीलकर्ताओं और निजी उत्तरदाताओं के बीच अंतर-वरिष्ठता का निर्धारण करते समय समन्वय के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है।यह अवलोकन निस्संदेह न्यायालय के निर्देशों का एक हिस्सा है और इस आदेश को लागू करने के लिए सरकार सीधे भर्तियों को पदोन्नति पर वरिष्ठता नहीं दे सकती थी।ऐसा करके, उन्होंने न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया है और उसके अनुरूप नहीं किया है।[पैरा **44] [669-**सी-ई]

ग

1.7 एम. पी. एस. नियम, **1965** के नियम **28** से पता चलता है कि

सेवा में वरिष्ठता का निर्धारण सेवा में नियुक्ति की तारीख के आधार पर किया जाएगा।विशेष रूप से एम. पी. एस. नियम, **1965** का नियम **28 (i)** जो पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती दोनों पर लागू होता है, प्रदान करता है कि वरिष्ठता उस क्रम से निर्धारित की जाएगी जिसमें सेवा में नियुक्तियां की जाती हैं।यदि नियम **28 (i)** के तहत वरिष्ठता नियुक्ति की तारीख के आधार

पर निर्धारित की जानी है**,** तो यह नहीं कहा जा सकता है कि नियम **28 (iii)** के उद्देश्य के लिए**,** सीधी भर्तियों की वरिष्ठता भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तारीख के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।**"**भर्ती वर्ष**"** शब्द का अर्थ उस वर्ष से नहीं है जिसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है या जिस वर्ष रिक्ति उत्पन्न होती है।**[**पैरा **47] [670-**ए**-**डी**]**

डी.

ई.

1.8 यद्यपि पदोन्नतियों ने अपने पक्ष में पारित निर्देश के अनुपालन के लिए संबंधित प्राधिकारी से संपर्क किया**,** लेकिन मणिपुर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।फिर प्रत्यर्थियों ने अवमानना का मामला दायर किया जहां सरकारी अधिवक्ता उपस्थित हुए और समय के लिए या अनुपालन की रिपोर्ट करने का अनुरोध किया।इसके बाद राज्य के महाधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि वरिष्ठता सूची को संशोधित किया गया है और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा है।अगली तारीख को महाधिवक्ता ने मणिपुर सरकार के अवर सचिव **(**डी**.** पी**.)** द्वारा जारी कार्यवाही की एक प्रति प्रस्तुत की और प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया गया है।इस निवेदन को स्वीकार करते हुए**, 02.07.2019** पर अवमानना मामले को बंद करने का आदेश दिया गया था।जैसा कि यह प्रतीत होता है कि **29.06.2019** पर प्रकाशित वरिष्ठता सूची एक स्वतंत्र अभ्यास ए नहीं हो सकती है।

च

जी.

एच.

655

के. मेघचंद्र सिंह बनाम निंगम सिरो ए

लेकिन इसका उद्देश्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को प्रभावी बनाना होना चाहिए।चूंकि एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि खंड पीठ द्वारा की गई थी**,** इसलिए वरिष्ठता सूची उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार तैयार की जानी चाहिए।न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ के बिना**,** एक स्वतंत्र अभ्यास के रूप में एक नई वरिष्ठता सूची तैयार करने की निश्चित रूप से अनुमति नहीं है।जब सूची **(29.06.2019)** की वैधता का परीक्षण किया जाता है**,** तो इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि सूची एकल न्यायाधीश के निर्णय की अनदेखी करती है जैसा कि खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई है।**[**पैरा **27,48] [662-**ई**-**एच**; 670-**डी**-**एफ**]**

1.9 रिट याचिका और रिट अपील में उच्च न्यायालय के आदेशों को बरकरार रखा जाता है।राज्य को उक्त चर्चा और उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में एम**.** पी**.** एस**.** ग्रेड**-II** संवर्ग में एक संशोधित अंतर**-**वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है।**[**पैरा **50] [671-**ए**-**बी**]**

ग

नानी शा और ओआरएस**.** वी**.**अरुणाचल प्रदेश राज्य और अन्य**, [2013] 11** एस**.** सी**.** आर**. 846;** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव और अन्र। **(2014) 14** एस**.** सी**.** सी**. 720;** अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य। वी**.**संघ का

डी.

भारत और अन्य, (2002) 4 एस. सी. सी. 247-संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

ई.

(1998) 4 एससीसी **456**

पर भरोसा किया।

पैरा **29,40**

[2013] 11 एससीआर **846**

संदर्भित किया गया है

पैरा **30**

(2014) 14 एससीसी **720**

संदर्भित किया गया है

पैरा **31**

(2012) 13 एससीसी **340**

खारिज कर दिया।

पैरा **40**

च

(2011) 3 एस**.** सी**.** सी**. 267**

पर भरोसा किया।

पैरा **40**

(2000) 7 एस**.** सी**.** सी**. 561**

पर भरोसा किया।

पैरा **40**

(2002) 4 एससीसी **247**

संदर्भित किया गया है

पैरा **45**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2019 की सिविल अपील संख्या 8833-8835।

जी.

आई. ए. में 24.05.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से। 2019 की समीक्षा याचिका संख्या 10 में 2019 की (सिविल) संख्या 1741,2019 की समीक्षा याचिका संख्या 10 में दिनांकित 10.04.2019 आदेश और 2018 की रिट अपील संख्या 66 में दिनांकित 26.09.2018 आदेश।

एच.

सह

2019 की सिविल अपील संख्या 8838,8836-8837।

जयदीप गुप्ता, पी. एस. पटवालिया, अहंतेम बिमोल सिंह, वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री पूनम कुमारी, सपन विश्वजीत मेइतेई, सौरव गुप्ता, अनिंदिता मित्रा, अहंतेम हेनरी, विवेक कुमार, कुमार मिहिर, लीशांगथेम रोशनी ख, अरिबाम जानकीनाथ शर्मा, आनंदो मुखर्जी, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ऋषिकेश रॉय**,** जे।

ग

1. छुट्टी मंजूर की गई।

2. ये मामले मणिपुर पुलिस सेवा ग्रेड II अधिकारी संवर्ग में अंतर-वरिष्ठता विवाद से संबंधित हैं, जिसे इसके बाद "एम. पी. एस. ग्रेड II संवर्ग" के रूप में संदर्भित किया जाता है।2019 के एस. एल. पी. (सी) सं. 19565-67 में हमारे समक्ष अपीलकर्ता 2013 के डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 366 में कुछ उत्तरदाता थे।इसके बाद उन्हें "प्रत्यक्ष भर्ती" के रूप में वर्णित किया जाएगा।इस एस. एल. पी. में उत्तरदाता उच्च न्यायालय में रिट याचिकाकर्ता थे जिन्हें एम. पी. एस. ग्रेड II संवर्ग में पदोन्नति पर नियुक्त किया गया था।स्पष्टता और समझने में आसानी के लिए, उन्हें इस निर्णय में "पदोन्नति" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है।

डी.

3. एम. पी. एस. ग्रेड II संवर्ग में उनके शामिल होने से पहले (आई. डी. 1 पर), पदोन्नत व्यक्ति पुलिस निरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे और उन्हें विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डी. पी. सी.) के आधार पर पदोन्नति दी गई थी।दूसरी ओर, निजी उत्तरदाता 3 से 32 और नहीं। 2013 की रिट याचिका (सी) संख्या 366 में 33 को सीधे एम. पी. एस. ग्रेड II संवर्ग में भर्ती किया गया था, संबंधित आदेश दिनांक 14.08.2007 और 24.11.2007 के अनुसार।

ई.

च

4. मणिपुर पुलिस सेवा में नियुक्ति और वरिष्ठता है

मणिपुर पुलिस सेवा नियम, 1965 (इसके बाद) द्वारा शासित

"एम. पी. एस. नियम, 1965" के रूप में संदर्भित)।दावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद और 2012 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 235 में न्यायालय के निर्देश (18.02.2013) के अनुपालन में, मणिपुर सरकार ने पदोन्नतियों और प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारियों के बीच समन्वय के सिद्धांत को लागू करते हुए, एम. पी. एस. ग्रेड II अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची (01.04.2013 पर) प्रकाशित करने के लिए 17.5.2013 पर आदेश जारी किया।पदोन्नति पाने वालों ने मणिपुर उच्च न्यायालय में 2013 की रिट याचिका (सी) संख्या 366 के माध्यम से इसे चुनौती दी।पदोन्नति पाने वालों ने अपनी रिट याचिका में संशोधन करके ए को भी चुनौती दी

जी.

एच.

657

के. मेघचंद्र सिंह बनाम निंगम सिरो [ऋषिकेश रॉय, जे.] ए.

बाद के सरकारी आदेश दिनांक 20.01.2014 और 19.02.2014 जहां सीधे भर्तियों को उनके ऊपर रखा गया था।

5. रिट कोर्ट के समक्ष, पदोन्नतियों ने तर्क दिया कि उन्होंने एम. पी. एस. ग्रेड II संवर्ग में 01.03.2007 पर प्रवेश किया, जबकि निजी प्रतिवादी संख्या।3 33 को बाद में नियुक्त किया गया (क्रमशः 14.08.2007 और 24.11.2007 पर) और इसलिए, उन्हें माना जाना चाहिए

प्रत्यक्ष भर्तियों से वरिष्ठ।

6. दूसरी ओर प्रत्यक्ष भर्तियों ने यह तर्क देते हुए पदोन्नति प्राप्त लोगों पर वरिष्ठता का दावा किया कि वरिष्ठता का निर्णय रिक्ति के वर्ष के अनुसार किया जाना चाहिए न कि उस आकस्मिक तिथि के अनुसार, जिस पर प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जा सकता है।7. एम. पी. एस. ग्रेड II संवर्ग में सीधी भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच अंतर-वरिष्ठता विवाद में, राज्य ने अपने जवाबी हलफनामे में यह रुख अपनाया कि वरिष्ठता उस तारीख से निर्धारित की जानी चाहिए जिस दिन व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी, लेकिन रिक्ति की तारीख से नहीं।2004-2005 की रिक्ति के विरुद्ध 14.08.2007 पर नियुक्त प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए यह निर्धारित किया गया था कि उनकी वरिष्ठता को नियुक्ति की तारीख से गिना जाना चाहिए।

ग

डी.

8. विद्वान न्यायाधीश ने पक्षों को सुना, अपने सामने पेश किए गए कार्यालय ज्ञापनों पर अपना दिमाग लगाया और 07.07.2017 दिनांकित सामान्य निर्णय द्वारा विवादित आदेशों को रद्द कर दिया।यह देखा गया है कि एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि 1 मार्च, 2007 को नियुक्त पदोन्नति के बैच को 14 अगस्त, 2007 को नियुक्त प्रत्यक्ष भर्तियों से अधिक वरिष्ठता दी जानी चाहिए और उन्होंने यह कहते हुए इसे उचित ठहराया कि एक प्रत्यक्ष भर्ती केवल अपनी नियमित नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का दावा कर सकती है और उस तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकती है जब वह सेवा में पैदा नहीं होता है।इस निष्कर्ष के लिए, विद्वान न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ,

ई.

च

जगदीश चंद्र पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य में अनुपात 1.अदालत ने

यह भी माना गया कि "वर्ष" अभिव्यक्ति वित्तीय वर्ष को संदर्भित करती है न कि कैलेंडर वर्ष को।इस तरह के निष्कर्ष के लिए समर्थन दिनांकित 29.4.1999 कार्यालय ज्ञापन पर आधारित है जिसमें पदोन्नति के लिए अपनी बैठकें आयोजित करने के मामले में डी. पी. सी. द्वारा पालन किए जाने वाले निर्देश शामिल हैं जो भर्ती के तरीकों में से एक है।यह ज्ञापन निर्दिष्ट करता है कि भर्ती वर्ष को वित्तीय वर्ष माना जाएगा।इसके अलावा

जी.

पद और सेवाओं में रिक्तियों का मणिपुर आरक्षण (के लिए)

1 (1998) 4 एससीसी 456

एच.

658 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 16 एस. सी. आर.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) अधिनियम, 1976

24 फरवरी, 1977 को संक्षिप्त रूप से "मणिपुर (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) अधिनियम, 1976" अधिनियमित किया गया, बशर्ते कि इस शब्द का अर्थ वित्तीय वर्ष हो।यह भी देखा गया कि 18.12.2009 पर मणिपुर राज्य ने मणिपुर में संशोधन किया।

उप-नियम 2 (छ) को परिभाषित करते हुए 1965 के पुलिस सेवा नियम

"वर्ष" शब्द का अर्थ कैलेंडर वर्ष है।इस संशोधन में प्रावधान किया गया था कि यह मणिपुर के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसका कोई पूर्वव्यापी प्रभाव डालने का इरादा नहीं था।विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस पर भरोसा करते हुए कहा कि इस अधिसूचना की तारीख से पहले, "वर्ष" शब्द को कैलेंडर वर्ष नहीं कहा जा सकता था, बल्कि इसका अर्थ वित्तीय वर्ष होगा।

ग

9. परिणामस्वरूप, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि पदोन्नत लोगों को भर्ती वर्ष 2006-2007 में संवर्ग में प्रवेश मिलता है, जबकि सीधी भर्तियां भर्ती वर्ष 2007-2008 में नियुक्त की जाएंगी।जहां तक भर्ती के वर्ष का संबंध है, पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच कोई ओवरलैप नहीं होने के कारण, कोटा के आवर्तन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए दोनों धाराओं को जोड़ने के लिए नियम 28 (iii) को लागू करना उत्पन्न नहीं होगा।तदनुसार यह निर्धारित किया गया कि विवादित वरिष्ठता सूचियाँ कानून की दृष्टि से खराब हैं और इसके तहत की गई सभी कार्रवाई को अमान्य कर दिया गया है।इसके बाद विद्वान न्यायाधीश द्वारा अपने सामान्य निर्णय दिनांक 07.07.2017 में निम्नलिखित निर्देश जारी किए गएः- “..... (14) ऊपर बताए गए कारणों से, 2013 की डब्ल्यू. पी. (सी) No.366 और 2014 की डब्ल्यू. पी. (सी) No.120 होने वाली रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है और इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं और निजी उत्तरदाताओं के संबंध में यहाँ आक्षेप किए गए सरकारी आदेशों 17-05-2013,20-01-2014 और 19-02-2014 को रद्द कर दिया जाता है और निम्नलिखित निर्देशों के साथ अलग कर दिया जाता हैः

डी.

ई.

च

(क) राज्य सरकार इस न्यायालय द्वारा ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, इस निर्णय और आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, एम. पी. एस. अधिकारियों के संबंध में एक वरिष्ठता सूची नए सिरे से तैयार करेगी; (ख) एम. पी. एस. अधिकारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करते समय, राज्य सरकार दिनांक 07-02-1986 ए. कार्यालय ज्ञापन में निहित दिशानिर्देशों/निर्देशों का पालन करेगी।

जी.

एच.

659

के. मेघचंद्र सिंह बनाम निंगम सिरो [ऋषिकेश रॉय, जे.] ए.

जिसे राज्य सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13-11-1987 के माध्यम से अपनाया है, जैसा कि माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा 2012 के WP (C) No.235 में पारित आदेश दिनांक 18-02-2013 द्वारा निर्देशित किया गया है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

.....”10. पदोन्नतियों के पक्ष में अंतर-वरिष्ठता की घोषणा से व्यथित, प्रत्यर्थी संख्या सहित कुछ प्रत्यक्ष भर्तियां।14 के. मेघचंद्र सिंह और अन्य लोगों ने 2017 की रिट अपील No.49 दायर की।मणिपुर उच्च न्यायालय में इस अपील को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था और इसे 2018 की रिट अपील संख्या 66 के रूप में फिर से दर्ज किया गया था।हालाँकि राज्य सरकार ने 2013 की रिट याचिका (सिविल) No.366 में दिए गए समान निर्णय (07.07.2017) को चुनौती नहीं दी।

ग

11. डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष को बरकरार रखा, लेकिन अपने औचित्य को इस सिद्धांत तक सीमित कर दिया कि सीधी भर्तियों के लिए वरिष्ठता की गणना उनकी नियुक्ति से पहले की तारीख से नहीं की जा सकती है।ऐसा करते हुए, इसने उसी प्रभाव के लिए लर्नड सिंगल जज के निष्कर्ष को मंजूरी दी।

डी.

.12.डिवीजन बेंच ने हालांकि इस सवाल पर विचार करने की आवश्यकता महसूस नहीं की कि क्या "वर्ष" का अर्थ "कैलेंडर वर्ष" या "वित्तीय वर्ष" है।उन्होंने महसूस किया कि स्थिति बहुत स्पष्ट होने के कारण, "वर्ष" या "उस वर्ष के लिए" शब्द/शब्दों की व्याख्या शुरू करने का कोई कारण नहीं था, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किया गया था।

ई.

13. यह भी स्पष्ट किया गया कि पदोन्नति पाने वालों को स्वाभाविक रूप से अपीलकर्ताओं से अधिक वरिष्ठता होगी क्योंकि वे रिट अपीलकर्ताओं के संवर्ग में आने से पहले एम. पी. एस. श्रेणी II के संवर्ग में प्रवेश कर चुके थे।

च

14. प्रत्यक्ष भर्तियों के खिलाफ 2018 की रिट अपील No.66 में उपरोक्त निर्णय (26.09.2018) के बाद, के. मेघचंद्र सिंह और अन्य लोगों ने 2019 की समीक्षा याचिका संख्या 10 दायर की।लेकिन न तो 04.04.2019 पर और न ही 10.04.2019 पर, सीधी भर्तियों के वकील गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे और तदनुसार, दिनांकित 10.04.2019 आदेश के माध्यम से, गैर-अभियोजन के लिए समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया गया था।2019 का आई. ए. (सी) No.1741 तब के. मेघचंद्र सिंह द्वारा समीक्षा याचिका की बहाली के लिए दायर किया गया था; लेकिन बहाली को अनिश्चित माना गया और तदनुसार प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा दायर आई. ए. को 24.05.2019 पर खारिज कर दिया गया।

जी.

एच.

15. अपनी रिट अपील और संबंधित याचिकाओं की अस्वीकृति से व्यथित, सीधी भर्तियों ने उच्च न्यायालय के फैसलों को चुनौती देने के लिए 2019 की विशेष अनुमति याचिका (सी) No.19565-67 के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

16. विवादित निर्णय और आदेशों पर जोर देते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया का तर्क है कि एम. पी. एस. ग्रेड-II संवर्ग में सीधी भर्तियों की वरिष्ठता की गणना उस समय से की जानी चाहिए जब रिक्तियां हुईं और रिक्तियों को भरने के लिए मणिपुर लोक सेवा आयोग को की गई मांग (29.07.2005) से संबंधित होनी चाहिए।उनके अनुसार, बाद की तारीखों पर अपीलार्थियों की वास्तविक नियुक्ति की तारीख (14.08.2007 और 24.11.2007), पदोन्नत लोगों की तुलना में प्रत्यक्ष भर्तियों की अंतर-वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करेगी, जिन्हें 01.03.2007 पर संवर्ग में पदोन्नत किया गया था।

ग

17. वरिष्ठ वकील भारत संघ और अन्य बनाम का हवाला देते हैं।

एन. आर. परमार, (2012) 13 एस. सी. सी. 340, ने तर्क दिया कि जब 2005 की रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी, तो भर्ती को अंतिम रूप देने में प्रशासनिक देरी के कारण नियुक्ति में देरी से व्यक्ति को उसकी उचित वरिष्ठता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।कोटा सिद्धांत के आवर्तन का उल्लेख करते हुए, वकील का तर्क है कि रिक्ति के वर्ष में भर्ती के लिए कार्रवाई की शुरुआत उस वर्ष से वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए पर्याप्त होगी।

डी.

ई.

18. श्री पटवालिया के अनुसार, शिक्षित एकल न्यायाधीश ने सीधे भर्तियों की तुलना में पदोन्नति पाने वालों को उच्च वरिष्ठता का पद प्रदान करने के लिए "भर्ती वर्ष" की गलती से "वित्तीय वर्ष" के रूप में व्याख्या की क्योंकि दोनों समूहों को एक ही वर्ष के अलग-अलग महीनों में नियुक्त किया गया था।वकील ने एम. पी. एस. नियमों के 1989 के संशोधन (18.12.2009) का उल्लेख करते हुए कहा कि भर्ती वर्ष को "कैलेंडर वर्ष" के रूप में स्पष्ट किया गया है और इसलिए, अभिव्यक्ति की व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

च

19. वरिष्ठ अधिवक्ता तब एम. पी. एस. नियमों के नियम 28 (iii) का उल्लेख करते हैं ताकि यह रेखांकित किया जा सके कि प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों की वरिष्ठता उस वर्ष के लिए नियम 5 के तहत रिक्तियों के आवर्तन के सिद्धांत पर निर्धारित की जानी है और इसलिए, पदोन्नतियों को केवल इसलिए प्रत्यक्ष भर्तियों से ऊपर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि उन्हें पहले की तारीख यानी 01.03.2007 पर पदोन्नत किया गया था, विशेष रूप से जब प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2005 में ही शुरू हुई थी।

जी.

एच.

661

के. मेघचंद्र सिंह बनाम निंगम सिरो [ऋषिकेश रॉय, जे.] ए.

क.

20. प्रत्यर्थियों/पदोन्नतों का प्रतिनिधित्व करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री जयदीप गुप्ता ने एम. पी. एस. नियम, 1965 का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि नियमों के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि एम. पी. एस. ग्रेड-III के संवर्ग में अंतर-वरिष्ठता उस क्रम से निर्धारित की जानी है जिसमें सेवा में नियुक्तियां की जाती हैं।वकील स्पष्ट रूप से नियम 28 (i) का उल्लेख करता है जहां यह निर्दिष्ट किया गया है कि -

सेवा में वरिष्ठता उस क्रम से निर्धारित की जाएगी जिसमें सेवा में नियुक्तियां की जाती हैं।वह बाद का भी उल्लेख करता है

नियम 28 (iii) का हिस्सा, जहां फिर से यह निर्दिष्ट किया गया है कि

अधिकारी की गिनती उस तारीख से की जाएगी जब उसे सेवा में नियुक्त किया जाता है।नियम 16 (iii) के प्रावधानों पर जोर दिया गया है।

श्री गुप्ता द्वारा यह तर्क देने के लिए कि केवल जब व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, तो उसे पदग्रहण की तारीख से सेवा में नियुक्त किया गया माना जाएगा।

ग

21. एन. आर. परमार (सुप्रा) के फैसले को श्री गुप्ता द्वारा समान जोर देने के साथ पढ़ा जाता है ताकि सबसे पहले यह बताया जा सके कि यह मामला वरिष्ठता के निर्धारण में सही कानून निर्धारित नहीं करता है।वकील ऐसी स्थिति में विसंगति पर प्रकाश डालता है जहां एक व्यक्ति जो बाद में सेवा में प्रवेश करता है, वह उन लोगों से अधिक वरिष्ठता का दावा करेगा जो पहले सेवा में शामिल हुए थे।श्री गुप्ता वर्तमान मामले में वादियों के लिए एन. आर. परमार (सुप्रा) में अनुपात की प्रयोज्यता पर भी सवाल उठाते हैं।

डी.

कि एम. पी. एस. नियम, 1965 के प्रावधान अधिकारियों के लिए लागू होते हैं।

ई.

मणिपुर पुलिस अधिकारियों में, एन. आर. परमार (सुप्रा) में विचार का विषय नहीं था, और इसलिए, विभिन्न सेवा नियमों के साथ आयकर निरीक्षकों से संबंधित उक्त अनुपात वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा।

22. विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री गुप्ता, तब दिनांकित कार्यालय ज्ञापन और उसी कार्यालय ज्ञापन में प्रदान किए गए चित्रण को संदर्भित करते हैं ताकि यह तर्क दिया जा सके कि एन. आर. परमार (सुप्रा) में निर्णय ने ओ. एम. के कानूनी निहितार्थ का गलत अर्थ निकाला है। वकील के अनुसार, एम. पी. एस. नियम 1965 में वित्तीय वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किया गया था या कैलेंडर वर्ष का भी उल्लेख नहीं किया गया था जैसा कि डिवीजन बेंच द्वारा उल्लेख किया गया था, क्योंकि नियम यह स्पष्ट करते हैं कि अंतर-वरिष्ठता की गणना नियुक्ति की तारीख से की जानी चाहिए।इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यक्ष भर्ती रिक्तियों के लिए 2005 की मांग का उन लोगों की अंतर-वरिष्ठता पर कोई असर नहीं पड़ सकता है जो बाद में सेवा में प्रवेश करने वालों की तुलना में पहले की तारीख को संवर्ग में पैदा हुए थे, जैसे कि प्रत्यक्ष भर्ती।

च

जी.

एच.

23. प्रत्यर्थी का वकील तब कार्यालय ज्ञापन और एम. पी. एस. ग्रेड-II संवर्ग में अंतर-वरिष्ठता तय करने के लिए अन्य अधिसूचनाओं के लिए उस संदर्भ को प्रस्तुत करेगा क्योंकि नियम यानी एम. पी. एस. नियम, 1965 यह स्पष्ट करता है कि सेवा में प्रवेश की तारीख किसी पदधारी की वरिष्ठता की गणना का आधार होनी चाहिए।

24. मणिपुर राज्य का प्रतिनिधित्व विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. गिरि करते हैं और वे "भर्ती वर्ष" अभिव्यक्ति की व्याख्या के मामले में एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के बीच कुछ असंगत विचारों का उल्लेख करते हैं।उन्होंने प्रस्तुत किया कि मणिपुर पुलिस सेवा अधिकारी की अंतर-वरिष्ठता का निर्धारण करते समय, लागू सेवा नियम एक व्याख्यात्मक अभ्यास का सहारा लेने के बजाय आधार होना चाहिए, विशेष रूप से जब नियमों में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है।

ग

25. राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तब बताया कि हालांकि एकल न्यायाधीश ने मणिपुर सरकार द्वारा तैयार की गई विवादित वरिष्ठता सूचियों में हस्तक्षेप किया, लेकिन राज्य ने इस फैसले को चुनौती नहीं दी, बल्कि 2018 की रिट अपील No.66 में डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देने के लिए 2019 का SLP (C) No.19568-69 दायर किया है। 26.श्री गिरि ने एम. पी. एस. नियम, 1965 (दूसरा संशोधन), 2009 का उल्लेख किया, जो अधिसूचना दिनांक 18.10.2009 के माध्यम से प्रकाशित किया गया है, जो भर्ती वर्ष को "कैलेंडर वर्ष" के रूप में परिभाषित करता है, लेकिन प्रस्तुत करता है, हालांकि सरकार ने एन. आर. परमार (सुप्रा) के बाद संशोधित अधिसूचना (29.06.2019) जारी की थी, यह अदालत के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता सूची पर फिर से विचार करेगी।27. इस स्तर पर यह दर्ज करने की आवश्यकता है कि यद्यपि पदोन्नति प्राप्त लोगों ने अपने पक्ष में पारित निर्देश के अनुपालन के लिए संबंधित प्राधिकारी से संपर्क किया, लेकिन मणिपुर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।फिर उत्तरदाताओं ने 2018 का अवमानना मामला (सी) No.224 दायर किया जहां सरकारी अधिवक्ता उपस्थित हुए और अनुपालन की रिपोर्ट करने के लिए समय का अनुरोध किया।इसके बाद राज्य के महाधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि वरिष्ठता सूची को संशोधित किया गया है और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा है।अगली तारीख को महाधिवक्ता ने मणिपुर सरकार के अवर सचिव (डी. पी.) द्वारा जारी कार्यवाही No.22/2/1989-MPS/DP (पी. टी.-2) की एक प्रति प्रस्तुत की और प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया गया है।इस निवेदन को स्वीकार करते हुए,

2018 के अवमानना मामले (सी) No.224 को बंद करने का आदेश 02.07.2019 पर दिया गया था।चूंकि यह मामला पदोन्नतियों में से एक, निंगम सिरो, पीड़ित पक्ष ए द्वारा दायर किया गया था।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

663

के. मेघचंद्र सिंह बनाम निंगम सिरो [ऋषिकेश रॉय, जे.] ए.

उच्च न्यायालय के बंद करने के आदेश को चुनौती देने के लिए 2019 की विशेष अनुमति याचिका No.17007 दायर की है। उनका प्रतिनिधित्व करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय को अवमानना मामले को बंद करने का आदेश देने के लिए महाधिवक्ता के निवेदन को आंख मूंदकर स्वीकार करने के बजाय वास्तविक अनुपालन के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए दिनांकित कार्यवाही के उद्देश्य की जांच करनी चाहिए थी।

28. पक्षकारसभक लेल विद्वान वकील द्वारा उठायल तर्क पर विचार कयल गेल अछि आ विवादित आदेश आ अभिलेख पर प्रासंगिक सामग्री पर विचार कयल गेल अछि।

ग

29. एन. आर. परमार (सुप्रा) में निर्णय की तुलना में अपीलकर्ताओं के वकील के तर्क पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, यह अवलोकन करना आवश्यक है कि कानून मामलों की एक श्रृंखला में काफी अच्छी तरह से तय किया गया है, कि एक व्यक्ति उस तारीख से वरिष्ठता का दावा करने के लिए वंचित है जब वह सेवा में पैदा नहीं हुआ था।उदाहरण के लिए, जे. सी. पटनायक (सुप्रा) मामले में अदालत ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या जिस वर्ष रिक्ति अर्जित होती है, उसका वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से कोई असर हो सकता है, भले ही व्यक्ति को वास्तव में कब भर्ती किया गया हो।न्यायालय ने कहा कि उस वर्ष के बीच समय अंतराल हो सकता है जब रिक्ति अर्जित होती है और उस वर्ष के बीच जब अंतिम भर्ती की जाती है। उड़ीसा इंजीनियर सेवा नियम, 1941 में आने वाले "भर्ती" शब्द का उल्लेख करते हुए उच्चतम न्यायालय ने जे. सी. पटनायक (सुप्रा) में कहा कि व्यक्ति को केवल भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत के आधार पर सेवा में भर्ती नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वह पद पर तभी होता है जब औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी किया जाता है।

डी.

ई.

30. जे. सी. पटनायक (सुप्रा) में उपरोक्त अनुपात का इस न्यायालय द्वारा बाद के कई मामलों में पालन किया जाता है।तथापि, संदर्भ में वरिष्ठता विवाद को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट संदर्भ देना उचित होगा।

च

अरुणाचल प्रदेश नियमों के लिए जो एम. पी. एस. नियम, 1965 के समान हैं (वीडियो (2007) 15 एस. सी. सी. 406- नानी शा और अन्य। बनाम। अरुणाचल प्रदेश राज्य और अन्य)।समान को ध्यान में रखते हुए

जी.

प्रावधानों के अनुसार, न्यायालय ने इस विचार को मंजूरी दी कि वरिष्ठता की गणना उस तारीख से नहीं की जानी चाहिए जब रिक्ति उत्पन्न हुई थी, बल्कि उस तारीख से की जानी चाहिए जिस दिन पद पर नियुक्ति की गई थी।न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि पूर्वव्यापी वरिष्ठता उस दिन से नहीं दी जानी चाहिए जब कोई कर्मचारी कैडर में पैदा भी नहीं होता है ताकि उन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े जिन्हें इस बीच वैध रूप से नियुक्त किया गया था।

एच.

664

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 16 एस सी आर।

31. राज्य में निर्णय का उल्लेख करने से भी हमें लाभ हो सकता है

उत्तर प्रदेश और अन्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव और अन्न 2।

यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एन. आर. परमार (सुप्रा) के निर्णय के बाद दिया गया है।यहां अदालत ने पवन प्रताप में अनुपात को मंजूरी दी।

सिंह और ओआरएस। बनाम रीवन सिंह और अन्य। 3, और इसके साथ सहमत हुए

यह विचार कि वरिष्ठता को पूर्वव्यापी रूप से तब तक नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि यह प्रासंगिक सेवा नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है।उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी ऐसे कर्मचारी के लिए वरिष्ठता नहीं दी जा सकती है जिसे अभी तक संवर्ग में नियुक्त नहीं किया गया है और ऐसा करने से उन कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिन्हें इस बीच वैध रूप से नियुक्त किया गया है।कानून.

अशोक कुमार श्रीवास्तव (ऊपर) में घोषित किया गया

ग

हमें आकर्षित करते हुए, लाभप्रद रूप से निम्नानुसार निकाला जाता है:24. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने पवन प्रताप सिंह बनाम रीवन सिंह मामले में हाल के प्राधिकरण से प्रेरणा ली है, जहां न्यायालय ने क्षेत्र में पहले के अधिकारियों का उल्लेख करने के बाद कुछ सिद्धांतों को निकाला है, जिनमें से निम्नलिखित प्रासंगिक हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है:

डी.

"45. ((ii) किसी विशेष सेवा में वरिष्ठता सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए।किसी विशेष सेवा में प्रवेश की तारीख या मूल नियुक्ति की तारीख एक अधिकारी या दूसरे के बीच या अधिकारियों के एक समूह और विभिन्न स्रोतों से भर्ती किए गए दूसरे समूह के बीच वरिष्ठता तय करने के लिए सबसे सुरक्षित मानदंड है।वैधानिक नियमों, कार्यकारी निर्देशों या अन्यथा से कोई भी विचलन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

ई.

च

..... 45.(iv) वरिष्ठता की गणना रिक्ति होने की तारीख से नहीं की जा सकती है और इसे पूर्वव्यापी रूप से नहीं दिया जा सकता है जब तक कि यह प्रासंगिक सेवा नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है।ऐसा इसलिए है क्योंकि वरिष्ठता पूर्वव्यापी आधार पर नहीं दी जा सकती है जब कोई कर्मचारी कैडर में पैदा भी नहीं हुआ है और ऐसा करने से उन कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिन्हें इस बीच वैध रूप से नियुक्त किया गया है।"

जी.

32. वरिष्ठता पर कानून की उपरोक्त समझ के साथ, एम. पी. एस. नियम, 1965 और विशेष रूप से नियम 28 (i), नियम 28 (iii) और नियम 16 (iii) के प्रावधानों पर अब विचार किया जाएगा।तैयार संदर्भ के लिए उन्हें निकाला जाता हैः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

नियम **28 (i)**

प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम पर या नियम 5 के उप-नियम (1) के खंड (बी) के तहत चयन द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के मामले में, सेवा में वरिष्ठता उस आदेश द्वारा निर्धारित की जाएगी जिसमें सेवा में नियुक्तियां की जाती हैं।

.....

ग

नियम **28 (iii)**

प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों की सापेक्ष वरिष्ठता का निर्धारण उस वर्ष के लिए नियम 5 के तहत निर्धारित प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच रिक्तियों के आवर्तन के अनुसार किया जाएगा और पिछले वर्ष की आगे की रिक्तियों के लिए चुनी गई अतिरिक्त प्रत्यक्ष भर्तियों को अंतिम पदोन्नतियों (या मामले के अनुसार प्रत्यक्ष भर्तियों) के नीचे रखा जाएगा।

डी.

नियम 16 के उप-नियम (3) के तहत इस तरह से नियुक्त अधिकारी की वरिष्ठता की गणना उस तारीख से की जाएगी, जब वह सेवा में नियुक्त होता है।

ई.

.....

नियम **16 (iii)**

एक व्यक्ति के मामले में जिसे एक पद पर नियुक्त किया गया था जिसे बाद में कर्तव्य पद के रूप में घोषित किया गया है, उसे एम. पी. एस. अनुसूची में पद के पदग्रहण की तारीख से सेवा में नियुक्त किया गया माना जाएगा।

च

..... 33.जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, एम. पी. एस. नियम, 1965 ने कभी भी यह प्रावधान नहीं किया कि वरिष्ठता को रिक्ति की तारीख से गिना जाना चाहिए।एम. पी. एस. नियम 1965 द्वारा कवर किए गए लोगों के लिए वरिष्ठता की गणना केवल नियुक्ति की तारीख से की जाएगी, न कि उस स्तर से जब नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया था।

जी.

34. उपरोक्त संदर्भ में, सीधी भर्ती के लिए 2005 में जारी किए गए प्रासंगिक विज्ञापन का उल्लेख करना भी आवश्यक है।

उम्मीदवारों को आवेदन करने की अनुमति दी गई, भले ही योग्यता परीक्षा में उनके परिणाम की प्रतीक्षा हो।इससे भी अधिक दिलचस्प और महत्वपूर्ण यह है कि योग्यता परीक्षा में उपस्थित होने का प्रस्ताव रखने वालों को भी विज्ञापन का जवाब देने की अनुमति है।यदि सीधी भर्ती के लिए (वर्ष 2005 में) शुरू की गई प्रक्रिया की प्रकृति ऐसी है, तो हम आसानी से ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं, जहां प्रक्रिया शुरू करने के चरण से वरिष्ठता प्रदान करने की स्थिति में, एक व्यक्ति को जब अंततः नियुक्त किया जाता है, तो उसे योग्यता प्राप्त करने से पहले ही पद धारण करने के लिए एक तारीख से वरिष्ठता मिल जाएगी।

35. एन. आर. परमार (सुप्रा) के फैसले पर अब कुछ विस्तार से विचार किया जाना है क्योंकि अपीलार्थियों के वकील इस पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं।शुरुआत में हालांकि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उद्धृत मामले का एम. पी. एस. नियम, 1965 से कोई लेना-देना नहीं था और वह मुकदमा आयकर निरीक्षकों से संबंधित था जो केंद्र सरकार के विभिन्न ओ. एम. (दिनांक 22.12.1959,07.02.1986,03.07.1986 और 03.03.2008) के लाभों का दावा कर रहे थे।यह निर्णय केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के संबंध में दिया गया था जिनके अपने सेवा नियम थे।वर्तमान मामले में वादियों के लिए लागू नियमों में हालांकि यह प्रावधान है कि सेवा में वरिष्ठता उस क्रम से निर्धारित की जाएगी जिसमें सेवा में नियुक्तियां की जाती हैं। इसलिए, एन. आर. परमार (सुप्रा) में निर्दिष्ट संबंधित ज्ञापन जो केंद्र सरकार की सेवा में व्यक्तियों की वरिष्ठता के निर्धारण के लिए सामान्य सिद्धांतों से संबंधित हैं, हमारे अनुसार, मणिपुर राज्य में सेवारत पुलिस अधिकारियों के लिए कोई प्रमुख प्रभाव नहीं होना चाहिए।

ग

डी.

ई.

36. एन. आर. परमार (सुप्रा) में निर्णय दिए जाने के बाद, भारत संघ ने 04.03.2014 पर कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिसमें भर्ती वर्ष को रिक्ति वर्ष के खिलाफ भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के वर्ष के रूप में परिभाषित किया गया और यह कि कोटा का आवर्तन, प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच अंतर-वरिष्ठता के निर्धारण के लिए जारी रहेगा।यह ज्ञापन मणिपुर राज्य में ओ. एम. दिनांक 21.12.2017 जारी होने तक लागू नहीं किया गया था, जिसमें ओ. एम. दिनांक 04.03.2014 को 01.01.2018 से संभावित रूप से अपनाया गया था।उल्लेखनीय है कि उक्त ओ. एम. ने विशेष रूप से यह प्रावधान किया है कि

च

जी.

“……इस ओ. एम. के जारी होने से पहले की गई नियुक्तियां/पदोन्नति इस ओ. एम. के दायरे में नहीं आएगी। राज्य में जारी किए जाने से पहले मौजूदा नियमों के अनुसार पहले से तय की गई वरिष्ठता

इस ओ. एम. को फिर से नहीं खोला जा सकता है।” इसमें भी विशेष रूप से कहा गया था।

कि "यह ओ. एम. राजपत्र में प्रकाशन के साथ 01.01.2018 से लागू होगा।"

एच.

37. ऊपर से, यह न केवल स्पष्ट है कि उपरोक्त ओ. एम. को केवल 1.1.2018 से संभावित प्रभाव दिया जाना था, बल्कि इसमें एक स्पष्ट स्वीकृति है कि ओ. एम. जारी करने से पहले यह स्थिति नहीं थी और राज्य में पहले एक अलग नियम का पालन किया गया था।इसलिए, यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि कम से कम आई. डी. 1 से पहले, प्रत्यक्ष भर्तियां यह दावा नहीं कर सकती हैं कि उनकी वरिष्ठता की गणना भर्ती कार्यवाही शुरू होने की तारीख से की जानी चाहिए, न कि वास्तविक नियुक्ति की तारीख से।

38. जब हम एन. आर. परमार (सुप्रा) के निर्णय को ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि निर्दिष्ट ओ. एम. (दिनांक 07.02.1986 और 03.07.1986) का निर्णय में ठीक से अर्थ नहीं लगाया गया था।अंतिम निष्कर्ष के विपरीत, उक्त दो ओ. एम. ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सीधी भर्तियों की वरिष्ठता केवल नियुक्ति की तारीख से घोषित की जानी चाहिए, न कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से।लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, ओ. एम. में दिए गए चित्रण का उल्लेख करते हुए निर्णय वास्तव में उक्त चित्रण के प्रभाव को नजरअंदाज करता है।हमारे अनुसार, एन. आर. परमार (सुप्रा) में निकाले गए चित्रण से ही यह स्पष्ट होता है कि जो रिक्तियां किसी विशेष वर्ष (1986) में सीधी भर्ती के लिए थीं, जिन्हें अगले वर्ष (1987) में भरा गया था, उन्हें केवल बाद के वर्ष की वरिष्ठता सूची में ही ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन 1986 की वरिष्ठता सूची में नहीं।वास्तव में, यह दो ओ. एम. दिनांक 07.02.1986 और 03.07.1986 में इंगित किया गया था और यही कारण है कि सरकार ने पहले के दो ओ. एम. के स्पष्टीकरण के माध्यम से 03.03.2008 पर बाद का ओ. एम. जारी किया।

ग

डी.

ई.

39. इस स्तर पर, हमें इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि एन. आर. परमार (सुप्रा) मामले में न्यायालय को यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि चयनित उम्मीदवार को प्रशासनिक देरी और प्रक्रिया की शुरुआत और नियुक्ति के बीच के अंतर के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।इस तरह का अवलोकन उतना ही गलत है जितना कि भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने की तारीख को किसी को भी चयनित उम्मीदवार के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है।उस दिन, प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए निर्धारित रिक्ति पर नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्तियों का एक निकाय अस्तित्व में नहीं था।जो व्यक्ति किसी विज्ञापन का जवाब दे सकते हैं, उन्हें विज्ञापन की तारीख से अपनी वरिष्ठता की गणना करने के अधिकार की बात नहीं करने के लिए सेवा से संबंधित कोई अधिकार नहीं हो सकते हैं।दूसरे शब्दों में, केवल प्रक्रिया के पूरा होने पर, आवेदक एक चयनित उम्मीदवार में परिवर्तित हो जाता है और इसलिए, एन. आर. परमार (सुप्रा) में इस प्रभाव के लिए अनावश्यक अवलोकन किया गया था कि चयनित उम्मीदवार को प्रशासनिक देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।उसी संदर्भ में, हम

च

जी.

एच.

उपयोगी रूप से बनाम शंकरसन दास बनाम भारत संघ 4 में अनुपात का उल्लेख किया जा सकता है, जहां यह पैनल में शामिल होने पर भी आयोजित किया गया था, एक नियुक्त व्यक्ति कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है।

40. केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित एन. आर. परमार (सुप्रा) में निर्णय हमारी राय में, एम. पी. एस. नियम, 1965 द्वारा शासित मणिपुर राज्य पुलिस अधिकारियों पर स्वतः लागू नहीं हो सकता है।हम यह भी महसूस करते हैं कि एन. आर. परमार (सुप्रा) ने लंबे समय से प्रस्तावित वरिष्ठता निर्धारण सिद्धांतों को गलत तरीके से अलग किया था।

अन्य, जे. सी. पटनायक (सुप्रा), सूरज प्रकाश गुप्ता और अन्य बनामजे एंड के और ओआरएस राज्य। 5 और पवन प्रताप सिंह और अन्य। बनाम रीवन सिंह

& ओआरएस। (सुप्रा)।ये तीन निर्णय और कई अन्य वरिष्ठता के निर्धारण के लिए कानून पर समान उच्चारण के साथ यह स्पष्ट करते हैं कि सेवा न्यायशास्त्र के तहत, वरिष्ठता का दावा उस तारीख से नहीं किया जा सकता है जब पदधारी का कैडर में जन्म होना बाकी है।हमारी सुविचारित राय में, इस मुद्दे पर कानून जे. सी. पटनायक (सुप्रा) में सही घोषित किया गया है और परिणामस्वरूप हम एन. आर. परमार (सुप्रा) में सुझाए गए अंतर-वरिष्ठता के मूल्यांकन पर मानदंडों को अस्वीकार करते हैं। तदनुसार, एन. आर. परमार में निर्णय को खारिज कर दिया जाता है।हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्णय पहले से ही एन. आर. परमार पर आधारित अंतर-वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करेगा और यह संरक्षित है।यह निर्णय संभावित रूप से लागू होगा, सिवाय इसके कि रिक्तता की तारीख/विज्ञापन की तारीख से संबंधित नियमों के तहत वरिष्ठता तय की जानी है।41. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपना निर्णय दो प्रस्तावों पर आधारित किया, लेकिन खंड पीठ का विचार था कि परिणाम केवल दो प्रस्तावों में से एक के आधार पर समान होगा और इसलिए, दूसरे प्रस्ताव पर निर्णय देना अनावश्यक था।इसलिए इस तरह के दृष्टिकोण को दोनों निर्णयों के बीच संघर्ष (जैसा कि सुझाव दिया गया है) के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।दोनों पीठें अपने निष्कर्ष में पूरी तरह से सुसंगत थीं कि पदोन्नति पाने वालों को प्रत्यक्ष भर्तियों की तुलना में वरिष्ठता देनी होगी।इसलिए यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि कुछ जटिल तर्कों से, इस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव है कि दोनों न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के परिणामस्वरूप बिल्कुल विपरीत स्थिति होगी, अर्थात् प्रत्यक्ष भर्तियों को पदोन्नति पर वरिष्ठता देनी होगी।

ग

डी.

ई.

च

जी.

42. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय में राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए कार्यालय ज्ञापन (07.02.1986) की व्याख्या की।

4 (1991) 3 एससीसी 47 5 (2000) 7 एससीसी 561 ए

एच.

669

के. मेघचंद्र सिंह बनाम निंगम सिरो [ऋषिकेश रॉय, जे.] ए.

इसके ओ. एम. दिनांक 13.11.1987 के अनुसार इसका अर्थ है कि सीधी भर्तियों को केवल नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता दी जा सकती है।एन. आर. परमार (सुप्रा) में निर्णय का उल्लेख नहीं किया गया था और इसलिए इसमें निहित सिद्धांत को विद्वान न्यायाधीश द्वारा लागू करने का इरादा नहीं कहा जा सकता है।

43. इसके अलावा, निर्णय (7.7.2017) का पैराग्राफ (14) स्पष्ट रूप से 2012 के पहले के WP (C) No.235 और उसमें पारित 18.02.2013 आदेश को संदर्भित करता है।उस मामले में, मणिपुर राज्य ने स्पष्ट रूप से जवाबी हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया था कि सीधी भर्तियों की वरिष्ठता की गणना उनकी नियुक्ति की तारीख से की जाएगी न कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से।

ग

44.निर्णय के पैराग्राफ 14 में विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार को न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सीधी भर्ती करने वालों को पदोन्नति प्राप्त करने वालों से अधिक वरिष्ठता नहीं मिल सकती है और अपीलकर्ताओं और निजी उत्तरदाताओं के बीच अंतर-वरिष्ठता का निर्धारण करते समय समन्वय के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है।यह अवलोकन निस्संदेह न्यायालय के निर्देशों का एक हिस्सा है और इस आदेश को लागू करते समय, सरकार सीधे भर्तियों को पदोन्नति पर वरिष्ठता नहीं दे सकती थी।ऐसा करके, उन्होंने न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया है और उसके अनुरूप नहीं किया है।

डी.

ई.

45. अब अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ पर निर्भरता रखते हुए श्री पटवालिया की अंतिम दलीलों से निपटना आवश्यक है।

& ओआरएस। बनाम भारत संघ और अन्य। 6.वह निम्नलिखित पर जोर देता हैः

निर्णय के अनुच्छेद 29 का परिच्छेदः- ".....शायद ही कभी कोटा के अनुसार उनकी भर्ती के बाद सेवा के सदस्यों के बीच कोई मुकदमा हुआ हो, वरिष्ठता रोस्टर अंकों द्वारा तय की जाती है और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि किसी व्यक्ति की भर्ती कब की जाती है।

च

46. हालांकि उपरोक्त एक ऐसे पदधारी को संदर्भित करेगा जिसके रोस्टर अंक निर्धारित कोटा के अनुसार उनकी भर्ती के बाद तय किए गए हैं।उद्धृत निर्णय में यह कहने का प्रस्ताव नहीं है कि व्यक्ति की भर्ती की तारीख को नजरअंदाज करते हुए रोस्टर अंकों के आधार पर वरिष्ठता तय की जाए।फैसला स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति पर विचार नहीं कर रहा था, जहां वरिष्ठता सेवा में होने से पहले ही तय की जा रही हो।किसी भी मामले में

जी.

6 (2002) 4 एससीसी 247

एच.

670

मामले में, एम. पी. एस. नियम, 1965 में किए गए विनिर्देशन को ध्यान में रखते हुए, जो यहां वादियों को पूरी तरह से नियंत्रित करता है, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (सुप्रा) में अनुपात अपीलार्थियों के लिए कोई सहायता नहीं होगा।

47. जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, एम. पी. एस. नियम, 1965 के नियम 28 से पता चलता है कि सेवा में वरिष्ठता का निर्धारण सेवा में नियुक्ति की तारीख के आधार पर किया जाएगा।विशेष रूप से एम. पी. एस. नियम, 1965 का नियम 28 (i) जो पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती दोनों पर लागू होता है, प्रदान करता है कि वरिष्ठता उस क्रम से निर्धारित की जाएगी जिसमें सेवा में नियुक्तियां की जाती हैं।यदि नियम 28 (i) के तहत वरिष्ठता नियुक्ति की तारीख के आधार पर निर्धारित की जानी है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि नियम 28 (iii) के उद्देश्य के लिए, सीधी भर्तियों की वरिष्ठता भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तारीख के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।"भर्ती वर्ष" शब्द का अर्थ उस वर्ष से नहीं है जिसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है या जिस वर्ष रिक्ति उत्पन्न होती है।हमारी सुविचारित राय में एन. आर. परमार 2 में विपरीत घोषणा एक सही दृष्टिकोण नहीं है।

ग

डी.

48. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, आइए अब हम अवमानना मामले में मणिपुर महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सरकारी आदेश (29.06.2019) पर विचार करें।जैसा कि यह प्रतीत होता है कि 29.06.2019 पर प्रकाशित वरिष्ठता सूची एक स्वतंत्र अभ्यास नहीं हो सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को प्रभावी बनाना होना चाहिए।चूंकि एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि खंड पीठ द्वारा की गई थी, इसलिए वरिष्ठता सूची उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार तैयार की जानी चाहिए।न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ के बिना, एक स्वतंत्र अभ्यास के रूप में एक नई वरिष्ठता सूची तैयार करने की निश्चित रूप से अनुमति नहीं है।जब हम सूची (29.06.2019) की वैधता का परीक्षण करते हैं, तो इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि सूची एकल न्यायाधीश के फैसले की अनदेखी करती है जैसा कि खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई है।इसे तदनुसार घोषित किया जाता है।49. परिणामस्वरूप, प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा दायर 2019 की एसएलपी (सी) No.19565-67 से उत्पन्न अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।इसी तर्क पर, मणिपुर राज्य द्वारा दायर 2019 की एसएलपी (सी) संख्या 19568-69 से उत्पन्न अपीलों पर विचार नहीं किया जाता है और वे खारिज हो जाएंगी।2018 के अवमानना मामले No.224 पर उपरोक्त निष्कर्ष और उच्च न्यायालय के समक्ष उस मामले में प्रस्तुत 29.06.2019 कार्यवाही को रद्द करने के साथ, अवमानना मामले No.224 2018 में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ निंगम सिरो द्वारा दायर 2019 के SLP (C) संख्या 17007 से उत्पन्न अपीलों का निपटारा किया जाता है।

ई.

च

जी.

एच.

671

के. मेघचंद्र सिंह बनाम निंगम सिरो [ऋषिकेश रॉय, जे.]

क.

50. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका और रिट अपील में उच्च न्यायालय के आदेशों को बरकरार रखा जाता है। मणिपुर राज्य को उपरोक्त चर्चा और उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में एम. पी. एस. ग्रेड-II संवर्ग में एक संशोधित अंतर-वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है।यह आज से 8 सप्ताह के भीतर किया जाएगा।इस फैसले के बाद सभी परिणामी कार्रवाई की जाएगी।इसे तदनुसार आदेश दिया जाता है।

निधि जैन

अपीलों का निपटारा किया गया।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.